# हाथियों, प्रवासी पक्षियों के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रस्ताव

लेखक-परिमल.ए. डाभी एवं गोपाल.बी. कटेशिया (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

22 फरवरी, 2020

**"मौसम में बदलाव के साथ कई स्तनपायी और पक्षी भोजन, आश्रय की तलाश एवं प्रजनन के लिए एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। एशियाई हाथी, जिन्हें भारतीय हाथी भी कहा जाता है, भारत से बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार आदि में प्रवास करते हैं।"**

गुरुवार को एक समिति ने प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र की संधि के तहत् अंतरराष्ट्रीय संरक्षण के लिए वैश्विक सूची में तीन प्रजातियों (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाई हाथी और बंगाल फ्लोरिकन) को शामिल करने के भारत के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार लिया है। जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन के 13वें कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (CMS, सीएमएस COP-13) में प्रस्ताव को संधि में भागीदार सभी देशों ने स्वीकार किया है।

यह सम्मेलन गुजरात के गाँधीनगर में संपन्न हुआ। जिसका थीम है- 'प्रवासी प्रजातियाँ दुनिया को जोड़ती हैं और हम एक साथ उनका अपने यहाँ स्वागत करते हैं।'

**कन्वेंशन क्या करना चाहता है?**

CMS 129 देशों के साथ-साथ यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के तहत् कार्य करने वाली एक संधि है। यह उन प्रजातियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए काम करती है, जो दूसरे सीमा-प्रदेश की ओर पलायन करती हैं और विलुप्त होने के खतरों का सामना कर रही हैं या उन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। CMS का उद्देश्य थलीय, समुद्री तथा उड़ने वाले अप्रवासी जीव जंतुओं का संरक्षण करना है। इस कन्वेंशन के द्वारा अप्रवासी वन्यजीवों तथा उनके प्राकृतिक आवास पर विचार विमर्श के लिए एक वैश्विक प्लेटफार्म तैयार होता है।

यह सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कम से कम 78 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

### 13वां कॉप शिखर सम्मेलन

**चर्चा में क्यों?**

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत् वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के सरंक्षण (सीएमएस) के लिए 17 से 22 फरवरी के बीच गुजरात के गांधीनगर में 13वें कॉप शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
- मेजबान देश के रूप में अगले तीन वर्षों तक भारत इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा।
- करीब 130 देशों के प्रतिनिधि, जाने माने पर्यावरण संरक्षक तथा वन्य जीव संरक्षण के लिए काम करने वाले कई अंतरराष्ट्रीय संगठन इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।
- इस बार इस सम्मेलन की विषय वस्तु- ' प्रवासी प्रजातियाँ दुनिया को जोड़ती हैं और हम एक साथ उनका अपने यहाँ स्वागत करते हैं।'

**प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है?**

मौसम में बदलाव के साथ कई स्तनपायी और पक्षी भोजन आश्रय की तलाश और प्रजनन के लिए एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। एशियाई हाथी, जिन्हें भारतीय हाथी भी कहा जाता है, भारत से बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार आदि में प्रवास करते हैं।

हालाँकि, इन प्रजातियों के लिए वन्यजीव कानून और संरक्षण नियम प्रत्येक देश में अलग-अलग हो सकते हैं, जिससे उनका शिकार, जहर देने आदि जैसा खतरा पैदा हो सकता है। कई प्रवासी प्रजातियों को आवास के क्षरण, उनके प्रवास मार्गों में बाधाओं और अन्य समस्याओं के कारण विलुप्त होने के खतरे का समाना कर पड़ सकता है। इसलिए, ये प्रजातियों जिन देशों की सीमा में आती हैं उनको इन पर विशेष देने की आवश्यकता है।

**भारत के कौन से प्रस्ताव स्वीकार किए गए हैं?**

भारत ने कन्वेंशन के परिशिष्ट- I में तीन प्रजातियों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। परिशिष्ट- I उन प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है जिन पर विलुप्त होने का खतरा है, जबकि परिशिष्ट-II अनुकूल संरक्षण स्थिति के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता वाले प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है। यदि परिशिष्ट- I में इन प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जाता है, तो यह इनके सीमा-पार संरक्षण प्रयासों को सुविधाजनक बनाता है।

## मुख्य बिंदु

- भारत 1983 से ही सीएमएस कन्वेशन पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में से एक है।
- भारत सरकार प्रवासी समुद्री पक्षियों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है।
- संरक्षण योजना के तहत् इनमें डुगोंग, व्हेल शार्क और समुद्री कुछुए की दो प्रजातियों की भी पहचान की गयी है।
- सम्मेलन का प्रतीक चिन्ह दक्षिण भारत की पारंपरिक कला कोलम से प्रेरित है।
- प्रतीक चिन्ह में इस कला के माध्यम से भारत में आने वाले प्रमुख प्रवासी पक्षियों जैसे आमूर फाल्कन, हम्पबैक व्हेल और समुद्री कछुओं के साथ प्रमुख जीवों को दर्शाया गया है।
- वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 के तहत् देश में सर्वाधिक संकटापन्न प्रजाति माने जाने वाले द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सम्मेलन का शुभंकर बनाया गया है।

भारत के इस प्रस्ताव ने पहली बाधा तब पार कि जब इसे सर्वसम्मति से सम्मेलन की समिति द्वारा अपनाया गया। हालांकि, पाकिस्तान, जो ग्रेट भारतीय बस्टर्ड का दूसरा रेंज देश है, ने प्रस्तावों पर चर्चा में भाग नहीं लिया।

**वे कौन से आधार हैं जिन पर भारत ने सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव दिया है?**

**एशियाई हाथी:** भारत ने कहा कि एशियाई हाथी, जो एक संकटग्रस्त प्रजाति है, कभी पश्चिम एशिया से लेकर चीन में यागत्जे नदी के उत्तर तक पाया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसकी सीमा 13 एशियाई देशों तक सिकुड़ गई है और 2017 तक भारत में इसकी आबादी 29,964 हो गई थी। भारत ने कहा कि परिशिष्ट- I में हाथियों को शामिल करना देशों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेगा, प्रवास की सुविधा प्रदान करेगा, प्रभावी निवास स्थान बढ़ाएगा और इनकी हत्याओं को कम करेगा।

**ग्रेट इंडियन बस्टर्ड:** इसकी सीमा पूरे भारत और पाकिस्तान तक विस्तृत है। यह एक गंभीर रूप से संकटग्रसत प्रजाति है जिसकी आबादी लगभग 150 है और इसका वर्तमान निवास स्थान इसकी ऐतिहासिक सीमा से 10% तक सिकुड़ गया है। भारत ने कहा कि प्रथम दृष्टया सबूत है कि यह पक्षी भारत-पाकिस्तान सीमा पर उड़ते हैं और इसलिए प्रजातियों की बेहतरी के लिए द्विपक्षीय सहयोग की आवश्यकता है।

**बंगाल फ्लोरिकन:** यह भी एक संकटग्रस्त प्रजाति है जो बस्टर्ड परिवार से संबंधित है। अपने प्रस्ताव में भारत ने कहा कि दक्षिण एशियाई उप-प्रजाति की वर्तमान आबादी लगभग 1,000 तक सिकुड़ गई है और इसका वर्तमान निवास स्थान भारत-गंगा और ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदानों के तराई और डुआर्स घास के मैदानों तक सीमित है।

## भारत में प्रवासी पक्षियाँ

- इस क्षेत्र में 182 प्रवासी समुद्री पक्षियों के करीब 297 अवासीय क्षेत्र हैं। इन प्रजातियों में दुनिया की 29 संकटापन्न प्रजातियाँ भी शामिल हैं।
- भारत में कई किस्म के प्रवासी वन्य जीवों जैसे बर्फीले प्रदेश वाले चीते, आमुर फाल्कन, बार हेडेड गाज, काले गर्दन वाला सारस, समुद्री कछुआ, डुगोंग्स और हम्पबैक व्हेल आदि का प्राकृतिक आवास है और साइबेरियाई सारस के लिए 1998 में, समुद्री कछुओं के लिए 2007 में, डुगोंग्स के लिए 2008 में और रेप्टर्स के संरक्षण के लिए 2016 में सीएमएस के साथ कानूनी रूप से अबाध्यकारी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर चुका है।
- वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियाँ भोजन, सूर्य का प्रकाश, तापमान और जलवायु आदि जैसे विभिन्न कारणों से प्रत्येक वर्ष अलग अलग समय में एक पर्यावास से दूसरे पर्यावास की ओर रूख करती हैं।

**सीएमएस परिशिष्ट में सूचीबद्ध होने से प्रजाति की मदद कैसे होती है?**

आम तौर पर किसी प्रजाति के सूचीबद्ध होने पर विभिन्न राष्ट्रीय न्यायालयों में प्रजाति से जुड़ी समस्याओं के निदान हेतु ठोस कार्रवाई होती है। क्रियाकलापों में क्षेत्रीय देशों के बीच सहयोग, नीतियों में सामंजस्य, क्षेत्रीय समझौतों के माध्यम से शामिल हो सकते हैं। सीएमएस में विभिन्न जीव परिवारों के विशेषज्ञ समूह हैं और यह एक वैज्ञानिक परिषद् भी है जो संरक्षण के लिए अनुसंधान-आधारित समाधानों की सलाह देती है।

कई देशों ने पवन टरबाइन, पॉवर ट्रांसमिशन लाइनों, सौर पार्कों जैसे बुनियादी ढाँचे का निर्माण करके अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया जो वन्यजीवों के लिए जोखिम पैदा करते हैं। सीएमएस ने 2014 में एक एनर्जी टास्क फोर्स की स्थापना की यह पार्टियों को सलाह देता है कि वे अपनी ऊर्जा परियोजनाओं को वन्य जीवन के अनुकूल कैसे रखें।

लिस्टिंग या सूचीबद्ध और परिणामी प्रयासों के बावजूद, परिशिष्ट- I पर 175 प्रवासी प्रजातियों में से 73% और परिशिष्ट-II पर 518 में से 48% की समग्र जनसंख्या कमीं की ओर अग्रसर है, सीएमएस के अनुसार।

**तो, भारत के प्रस्तावों में प्रजातियों के लिए क्या बदलाव है?**

यदि समिति अंतत: इन प्रस्तावों को अपनाता है और लिस्टिंग आगे बढ़ती है, जिसकी उम्मीद है, तो संबंधित देशों के बीच एक औपचारिक क्षेत्रीय सहयोग संभव हो जाएगा। एक बार लिस्टिंग हो जाने के बाद, संविदा पार्टियाँ सीमा पार संरक्षण प्रयासों में सहयोग करने के लिए बाध्य होती हैं।

उदाहरण के लिए, बांग्लादेश ने हाथी और फ्लोरिकन पर प्रस्तावों का स्वागत किया है, एक ऐसा पक्षी जो 1882 में उस देश में विलुप्त हो गया था। हालाँकि, पाकिस्तान ने ग्रेट भारतीय बस्टर्ड प्रस्ताव पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया है। संरक्षण के प्रयास भी सीएमएस की अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता से लाभान्वित होंगे और पाकिस्तान पर इसका शिकार रोकने के लिए दबाव बढ़ा सकते हैं।

**प्रवासी वन्य जीवों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए सम्मेलन (CMS)**

- CMS संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे बोन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है।
- CMS का उद्देश्य थलीय, समुद्री तथा उड़ने वाले अप्रवासी जीव जंतुओं का संरक्षण करना है। इस कन्वेंशन के द्वारा अप्रवासी वन्यजीवों तथा उनके प्राकृतिक आवास पर विचार विमर्श के लिए एक वैश्विक प्लेटफार्म तैयार होता है।
- इस संधि पर 1979 में जर्मनी के बोन में हस्ताक्षर किये गये थे। यह संधि 1983 में लागू हुई थी। इसमें अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप तथा ओशनिया के 120 हितधारक (स्टेकहोल्डर) शामिल हैं।

**सम्मेलन के एजेंडे में और क्या है?**

तीन प्रजातियों के अलावा, जगुआर, यूरियाल, लिटिल बस्टर्ड, एंटीपोडीन अल्बाट्रॉस, ओशियन व्हाइट-टिप शार्क, स्मूथ हैमरहेड शार्क और टोपे शार्क के लिए प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। COP13 सम्मेलन मे समुद्री ध्वनि प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, कीटों की गिरावट आदि पर भी चर्चा की गई।

भारत ने गांधीनगर घोषणा को अपनाने के लिए COP13 को भी आमंत्रित किया है, जो विश्व समुदाय से आग्रह करता है कि वह पारिस्थितिक संपर्क सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करे, विशेष रूप से स्थायी प्रबंधन और प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए। भारत ने प्रस्तावित किया है कि एक बार सुझावों को अपनाये जाने के बाद सीएमएस 2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता ढाँचे की तैयारी के लिए इस वर्ष अक्टूबर में चीन में जैव विविधता सम्मेलन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक के लिए गांधीनगर घोषणा को आगे बढ़ाएगा।

GS World
Committed To Excellence

## संभावित प्रश्न ( प्रारंभिक परीक्षा )

**प्र. हाल ही में वन्य जीव के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन (CMS) संपन्न हुआ है। इसके संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. इसकी थीम है–''प्रवासी प्रजातियाँ दुनिया को जोड़ती हैं और हम एक साथ घर आने पर उनका स्वागत करते हैं।''
2. भारत द्वारा प्रस्तावित इन तीन प्रजातियों (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाई शेर और बंगाल फ्लोरिकन) को परिशिष्ट 1 में डाल दिया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

## Expected Questions (Prelims Exams)

**Q. Recently the Convention on Conservation of Migratory Species of Wildlife (CMS) has been concluded. Consider the following statements: in this context:**

1. Its theme is - "Migratory species connect the planet and together we welcome them home."
2. The three species proposed by India (Great Indian Bustard, Asiatic Lion and Bengal Phlororican) have been put in Appendix1.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2

(c) Both 1 and 2 (d) None of these

**नोट : 21 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा ( संभावित प्रश्न ) का उत्तर 1 (c) होगा।**

## संभावित प्रश्न ( मुख्य परीक्षा )

**प्र. हाल ही में प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र के पार्टियों के 13वें अभिसमय में भारतीय प्रस्ताव के क्या निहितार्थ हैं? यह सम्मेलन किस प्रकार से प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण में भूमिका निभाता है? चर्चा कीजिए।**
**( 250 शब्द )**

**What are the implications of the Indian resolution in the 13th Convention of the United Nations Parties on the Migratory Species recently? How does this convention play a role in the conservation of migratory species? Discuss.**
**(250 words)**

**नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।**